बिहार सरकार

परिवहन विभाग

विज्ञापन

बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी को संविदा के आधार पर परिवहन विभाग में नियोजन हेतु

सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या–2804, दिनांक–29.03.2010 एवं संकल्प संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 के प्रावधानों के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत सहायकों/प्रशाखा पदाधिकारियों को संविदा के आधार पर परिवहन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में रिक्त 22 सहायकों एवं 05 प्रशाखा पदाधिकारियों के पद पर निम्न आरक्षण के आधार पर नियोजित किया जाना है।

सहायक–

क्र0 सं0	कोटि	पुरूष	महिला	कुल पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सामान्य	06	03	09	संबंधित कोटि की महिलाओं के आवेदन पत्र अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उसी कोटि के पुरूष आवेदकों से पद भरा जाएगा।
2	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	03	01	04	
3	अनुसूचित जाति	02	01	03	
4	अनुसूचित जन जाति	00	00	00	
5	पिछड़ा वर्ग	02	01	03	
6	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	00	02	
7	पिछड़ा वर्ग की महिला	00	01	01	
	कुल रिक्त पद	**15**	**07**	**22**	

प्रशाखा पदाधिकारी–

क्र0 सं0	कोटि	पुरूष	महिला	कुल पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सामान्य	01	01	02	संबंधित कोटि की महिलाओं के आवेदन पत्र अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उसी कोटि के पुरूष आवेदकों से पद भरा जाएगा।
2	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	01	00	01	
3	अनुसूचित जाति	01	00	01	
4	अनुसूचित जन जाति	00	00	00	
5	पिछड़ा वर्ग	01	00	01	
6	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00	00	
7	पिछड़ा वर्ग की महिला	00	00	00	
	कुल रिक्त पद	**04**	**01**	**05**	

यह संविदा निम्नांकित शर्तों के अधीन होंगे–

1. चयन प्रक्रिया– (i) साक्षात्कार के अधार पर चयन के लिए आदर्श रोस्टर चलेगा, जो बिन्दु 1 से प्रारम्भ होगा।

2. मानदेय– संविदा पर नियोजित सेवानिवृत सरकारी सेवकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + सेवानिवृत के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि + सेवानिवृत के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा, परन्तु पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान होता रहेगा।

3. उम्र सीमा–01.01.2019 को अधिकतम उम्र सीमा 63 वर्ष तक होगी।

4. संविदा पर नियोजन प्रथमतः एक वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक तथा इसके पूर्व भी समाप्त किया जा सकेगा। अधिकतम उम्र सीमा तक सेवा आवश्यकतानुसार एवं संतोषजनक पाए जाने पर एक–एक वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकती है।

5. कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के नियोजन समाप्त किया जा सकेगा।

6. निम्नांकित कोटि के कर्मियों को नियोजन नहीं किया जा सकेगा–

   (क) जिन पर कोई निगरानी/विभागीय कार्यवाही का मामला चल रहा हो।

   (ख) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।

   (ग) जिन पर किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज हो।

   (घ) चयन समिति की दृष्टि में जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में सक्षम नहीं होगा।

7. उपर्युक्त शर्तों के अधीन जो सेवानिवृत कर्मी संविदा पर नियोजन के लिए इच्छुक है, वे अपना आवेदन विहित प्रपत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 10 (दस) दिनों के अन्दर परिवहन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

8. आवेदन पत्र के साथ पेंशन बुक संलग्न करना अनिवार्य है।

(शैलेन्द्र नाथ)
सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

विस्तृत जानकारी के लिए वेवसाईट www.transport.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

संविदा आधारित सचिवालय सहायक के पद पर नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

विहित–प्रपत्र–

फोटो

1. सेवानिवृत सहायक का नाम–
   मोबाईल संख्या–
   E-mail ID–
2. अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम–
3. जन्म तिथि/सेवानिवृति की तिथि–
4. वर्तमान पता–
5. स्थायी पता–
6. नियुक्ति की तिथि–
   (सहायक के पद पर)
7. विभाग का नाम जहाँ से अभ्यर्थी सेवानिवृत हुआ है–
8. विभिन्न विभागों का अलग–अलग कार्यानुभव–
9. पी0पी0ओ0 संख्या एवं पी0पी0ओ0 की अभिप्रमाणित छाया प्रति–
10. अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई अपराधिक वाद/निगरानी वाद विभागीय कार्यवाही संविदा है या नहीं
11. आरक्षण कोड
    (जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)

तिथि–

स्थान– आवेदक का हस्ताक्षर